संख्या 20014/01/2024-रा.भा (का-2)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

******

बी विंग, चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी-2 भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 26/11/2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 46 वीं बैठक का कार्यवृत।

सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 46वीं बैठक के तीनों चरणों का आयोजन दिनांक 22 से 23 अक्टूबर, 2024 को राजभाषा विभाग, नई दिल्ली में किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु सभी मंत्रालयों/विभागों के कार्यों की समीक्षा करना है। कॉलिक की 46वीं बैठक में मंत्रालयों/विभागों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, इस हेतु सभी का अभिनन्दन।

2. इस समीक्षा बैठक में सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा ऑनलाइन भरी गई तिमाही प्रगति रिपोर्ट में दी गई सूचनाओं की समीक्षा की गई, कमियों को चिन्हित किया गया, लक्ष्यों में आई कमियों पर चर्चा की गई तथा सुधार हेतु सभी के साथ विचारों को साझा किया गया। बैठक के कार्यवृत्त को राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.nic.in के 'अद्यतन सूचनाएं' लिंक पर देखा जा सकता है।

3. प्रत्येक मंत्रालय/विभाग की तिमाही प्रगति रिपोर्ट में पाई गई कमियां, राजभाषा हिंदी के उत्तरोत्तर कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश एवं मंत्रालयों/विभागों द्वारा दिए गए आश्वासनों पर 01 माह के अंदर अनुवर्ती कार्रवाई कर राजभाषा विभाग को सूचित करें।

अनिल कुमार

(अनिल कुमार)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23438143

संलग्न: यथोपरि

प्रति:

1. केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति से संबंधित मंत्रालय/विभाग के संयुक्त सचिव (प्रशा.) (सूची सलंग्न)।
2. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी अनुभाग/डेस्क (वेबसाइट के माध्यम से)।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. सचिव, राजभाषा विभाग के प्रधान स्टाफ अधिकारी।
2. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग के प्रधान निजी सचिव।

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग(का.2)
***

केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 46वीं बैठक का कार्यवृत्त

राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कॉलिक) की बैठक का आयोजन किया जाता है। इस कड़ी में वर्ष 2023-24 की तिमाही प्रगति रिपोर्ट के आधार पर कॉलिक की 46वीं बैठक का आयोजन 22 तथा 23 अक्टूबर, 2024 को किया गया।

2. श्रीमती अंशुली आर्या, सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 46वीं बैठक के प्रथम व द्वितीय चरण की बैठक 22 अक्टूबर, 2024 को तथा तृतीय चरण की बैठक 23 अक्टूबर, 2024 को सम्मेलन कक्ष, प्रथम तल, एनडीसीसी-2 भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली में आयोजित की गई।

3. भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा के कार्यान्वयन से संबंधित विस्तृत चर्चा के लिए उक्त बैठक में प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरण में क्रमशः 29, 26 तथा 27 मंत्रालयों/विभागों (**सूची अनुलग्नक 'क' पर**) के संयुक्त सचिवों एवं वरिष्ठ राजभाषा अधिकारियों के साथ बैठक की गई। उपस्थित अधिकारियों/कार्मिकों की **सूची अनुलग्नक 'ख'** पर उपलब्ध है।

4. सचिव, राजभाषा विभाग ने बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए अपने संबोधन में कहा कि केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में एक बैठक आयोजित की जाती है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य संघ की राजभाषा नीति, कानूनी प्रावधानों, संसदीय राजभाषा समिति द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय को प्रस्तुत सिफारिशों की समीक्षा/आदेश आदि की समीक्षा करना है। इससे पहले सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में इस प्रकार की 45 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। आगे उन्होंने यह भी अवगत करवाया कि राजभाषा हिंदी के प्रयोग की जैसी स्थिति मंत्रालयों/विभागों में होनी चाहिए, वैसी अभी नहीं है। इस संबंध में सचिव महोदया ने अनुच्छेद 343 तथा 351 का विशेष रूप से उल्लेख किया। सचिव महोदया ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि हम सबको इस दिशा में मिलकर सार्थक प्रयास करना है।

5. अवगत कराना है कि केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों में राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने, सरकारी प्रयोजनों के लिए राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की मॉनिटरिंग करने तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन में पाई गई कमियों को दूर करने हेतु उपाय सुझाने के उद्देश्य से किया गया है। हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने राजभाषा हिंदी के प्रयोग पर बहुत बल दिया है। इस दिशा में यह बैठक मंत्रालयों/विभागों द्वारा सरकारी काम-काज में संघ की राजभाषा नीति

के प्रयोग की समीक्षा करने हेतु एक महत्वपूर्ण मंच है। इस बैठक में सभी मंत्रालयों के उच्च अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करने का हमें अवसर मिलता है और वे हिंदी के कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं पर विचार-विमर्श कर सकते हैं, साथ ही अपने सुझाव भी दे सकते हैं। इस बैठक में मंत्रालयों की वेबसाइट के द्विभाषीकरण की स्थिति में पाई गई मुख्य कमियां भी आपके सामने रखी जाएंगी। जैसा कि आपके विदित है कि संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है । सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करें। इस अवसर पर मैं आप सब वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध करती हूं कि राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन अपने कार्यालयों में सुनिश्चित करवाएं और राजभाषा संबंधी सभी कार्यकलापों में व्यक्तिगत रुचि लेते हुए सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान दें। उन्होंने निम्न बिन्दुओं पर विशेष बल दिया :-

(i) मंत्रालयों/विभागों के अधीनस्थ कार्यालयों में अभी भी बहुत से कार्यालय ऐसे हैं जो पंजीकृत नहीं हैं तथा उनकी तिमाही प्रगति रिपोर्ट राजभाषा विभाग को प्राप्त नहीं हो पा रही है। ऐसे में सभी मंत्रालयों/विभागों से अपेक्षा है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों को यथाशीघ्र पंजीकृत करवाएं तथा तिमाही प्रगति रिपोर्ट राजभाषा विभाग को ऑनलाइन भेजना सुनिश्चित करें।

(ii) सचिव महोदया ने तिमाही प्रगति रिपोर्ट के प्रोफार्मे में आवश्यक बदलाव किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया तथा इसमें बदलाव किए जाने हेतु एक समिति बनाने के लिए मंत्रालयों/विभागों को अपने यहाँ से हिंदी से जुड़े वरिष्ठ अधिकारिओं (CSOLS) को नामित करने को कहा। मंत्रालय/विभाग से इच्छुक सदस्यों की सूचना इस कार्यवृत्त के जारी होने के 10 दिनों के अन्दर santosh.gupta89@gov.in पर भेज दें।

6. तत्पश्चात सचिव महोदया के निदेश पर राजभाषा विभाग के अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन) ने पॉवर प्वांइट प्रस्तुतीकरण (पीपीटी) के माध्यम से सभी प्रतिभागियों से उनके मंत्रालयों/विभागों से की जा रही अपेक्षाओं का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने आगे बताया कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले 14 दस्तावेज अनिवार्यत: द्विभाषी जारी किए जाने अपेक्षित हैं। साथ ही राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्यत: हिंदी में दिए जाने अपेक्षित हैं, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(I) उन्होंने इस बात पर सभी प्रतिभागियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करते हुए बताया कि यदि कोई कार्यालय धारा 3(3) का अनुपालन नहीं करता है तो वह राजभाषा विभाग की ओर से दिए जाने वाले राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर के पुरस्कारों के मूल्यांकन से पूर्णत: वंचित हो जाता है। साथ ही यदि कार्यालय राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन नहीं करता है तो पुरस्कारों के मूल्यांकन के समय उसके 10 नंबर काट लिए जाते हैं जिससे वह पुरस्कारों की श्रेणी से लगभग बाहर हो जाता है अथवा दूसरे कार्यालयों के मुकाबले, राजभाषा पुरस्कार प्राप्त करने में, उसका स्थान नीचे हो जाता है।

(II) अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन) ने आगे यह भी अनुरोध किया कि वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए। अंग्रेजी वेबसाइट और हिंदी वेबसाइट को साथ-साथ अद्यतन किया जाना अनिवार्य है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मूल रूप से हिंदी में कार्य को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अभ्यास आधारित कार्यशालाओं का नियमित आयोजन किया जाए। प्रशिक्षण हेतु शेष अधिकारियों/कार्मिकों का यथाशीघ्र प्रशिक्षण आवश्यक है क्योंकि हिंदी शिक्षण योजना द्वारा 2025 तक सभी को प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। जिन्हें इन प्रशिक्षणों में नामित किया जाता है, उन्हें प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त भी करें। जिन मंत्रालयों/विभागों में हिंदी सलाहकार समिति गठित नहीं है, वहां इसका शीघ्र गठन/पुनर्गठन आवश्यक है ताकि इसकी नियमित बैठकें आयोजित की जा सकें। सभी कंप्यूटरों में द्विभाषी काम करने की सुविधा उपलब्ध हो ताकि कार्मिकों को हिंदी में काम करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। कंप्यूटरों में इनबिल्ट द्विभाषी सुविधा बाई डिफाल्ट पहले ही से उपलब्ध है, केवल उन्हें यूनिकोड इनेबल करने की आवश्यकता है। अपने-अपने कार्यालयों में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों का, प्रत्येक तिमाही में, नियमित आयोजन किया जाना चाहिए।

(III) एक जरूरी बात से भी उन्होंने सभी को अवगत कराया कि ऑनलाइन तिमाही प्रगति रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा अर्थात एक महीने के अंदर, प्रमाण पत्र सहित, भेजना सुनिश्चित करवाएं क्योंकि राजभाषा पुरस्कारों के मूल्यांकन के समय प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 30 दिनों के अंदर रिपोर्ट भेजे जाने पर 6 अंक, 60 दिनों के अंदर भेजे जाने पर 3 अंक दिए जाते हैं। 60 दिनों के बाद भेजे जाने पर 6 अंक कट जाते हैं।

(IV) वेबसाइट के द्विभाषीकरण पर बल देते हुए अनुसंधान अधिकारी ने उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया कि यदि वेबसाइट को बाई-डिफाल्ट हिंदी में खोलने में समस्या आ रही हो तो वेबसाइट के खुलते समय मुख पृष्ठ पर हिंदी व अंग्रेजी भाषा का विकल्प दिया जाए ताकि प्रयोक्ता आसानी से भाषा विकल्प का चयन कर सके।

बैठक से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुः

1. तिमाही प्रगति रिपोर्ट के प्रोफार्मे में संशोधन हेतु समिति का गठन किया जाना है। हिंदी से जुड़े अधिकारी इसमें स्वैच्छिक रूप से शामिल हो सकते हैं । कृपया अपना नामांकन तत्काल भिजवाएं।
2. मंत्रालयों/विभागों के अधीनस्थ जिन कार्यालयों/संगठनों ने अभी तक तिमाही प्रगति रिपोर्ट हेतु पंजीकरण नहीं किया है, वे तत्काल अपना पंजीकरण करवाएं।
3. सभी मंत्रालय/विभाग अपनी-अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्ट समय से भरें। प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट तथा अपने विभागाध्यक्ष से हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र (मोहर सहित) भरवाना सुनिश्चित करें।
4. तिमाही प्रगति रिपोर्ट भरने में आ रही किसी भी समस्या के लिए विभाग के एनआईसी (NIC) से संपर्क करें।
5. रिपोर्ट में धारा 3(3) एवं नियम-5 का उल्लंघन न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए।
6. सभी अधिकारी अपने विभागों/मंत्रालयों में कंठस्थ का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित करवाएं।
7. भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से पधारे अधिकारियों का हार्दिक धन्यवाद। ऐसे सम्मेलनों में भविष्य में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
8. हिंदी सलाहकार समिति का गठन करवाएं। गठन के उपरांत वर्ष में दो बैठकें करवाना सुनिश्चित करवाएं।
9. वेबसाइट पूर्णत: द्विभाषी करवाएं। अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी को भी हमेशा अपडेट करवाना सुनिश्चित करवाएं।
10. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मूल कार्य हिंदी में हो।
11. सभी कंप्यूटरों में इनबिल्ट द्विभाषी सुविधा, यूनिकोड को सक्रिय करवाएं।
12. भविष्य में आयोजित होने वाली कॉलिक की बैठकों में संयुक्त सचिव व समकक्ष अधिकारी अवश्य उपस्थित हों।

मंत्रालय/विभाग-वार विस्तृत समीक्षा अगले पृष्ठ से देखी जा सकती है:-

मंत्रालय/विभाग-वार समीक्षा

6.1 अंतरिक्ष विभाग

अंतरिक्ष विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। अंतरिक्ष विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया गया है तथा फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। विभाग की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है मगर होम पृष्ठ, संसाधन टैब, फीस्ट टूल, आई-ग्रास्प एवं अवसर-आगंतुक के लिंक अंग्रेजी में हैं।

प्रतिनिधि ने बताया कि वेबसाइट का आकलन सही है तथा इस पर दिख रही कमियों पर ध्यान दिया जा रहा है और ये कुछ ही दिनों में सुलझा लिया जाएगा। हमारा प्रयास मुख्य बिन्दुओं को द्विभाषी विकल्प में दिखाना है । हमारे यहाँ सभी आशुलिपिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे कार्य करने वाले कार्मिकों की संख्या में वृद्धि होगी।

6.2 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। मंत्रालय द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है हालाँकि 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया गया है तथा इसमें पिछले वर्ष के मुकाबले कमी आई है । मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है मगर निविदा, संगठनात्मक चार्ट एवं आवेदन, लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि हमारी कोशिश है कि प्रक्रिया को तेज किया जाए तथा यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है । हिन्दी व्याख्यान को लेकर सचिव महोदय द्वारा प्रतिभागियों को इनाम/प्रोत्साहन दिया जा रहा है। टिप्पणी क्यों कम हो रही है इसको विभाग द्वारा संज्ञान में लाया गया है तथा इसकी जानकारी संबंधित विभागों से मांगी जा रही है। विभाग द्वारा कई कार्यशालाएँ आयोजित की जा रही हैं तथा कई अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाया जा चुका है। 'कंठस्थ' टूल के बारे में जानकारी नहीं थी तथा भविष्य में इस पर कार्य किया जाएगा। वेबसाइट को द्विभाषी करने की प्रक्रिया जारी है ।

6.3 आयुष मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। मंत्रालय द्वारा 'क', और 'ख' क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है हालाँकि 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है मगर सूचना का अधिकार एवं निविदा की सूचना हिन्दी में नहीं है तथा नागरिक चार्टर का टैब उपलब्ध नहीं है।

अनिल कुमार

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि जो भी कमियाँ हैं उन कमियों को बहुत जल्द दूर कर लिया जाएगा। आने वाले समय में इस क्षेत्र में काफी सुधार दिखेगा। हमारे विभाग में हिन्दी आशुलिपिक और टंकक कार्यरत नहीं हैं इसलिए हिन्दी के काम-काज में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

6.4 आर्थिक कार्य विभाग

विभाग की समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि विभाग द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है तथा फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया गया है। विभाग की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परंतु संगठन चार्ट, आर.टी.आई., कौन क्या है, सामान्य प्रश्न, दिशानिर्देश एवं निविदा और नीलामी की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि जो कमियाँ हैं उन्हें यथाशीघ्र दूर कर लिया जाएगा। बजट के कार्य में अधिक व्यस्तता के कारण कुछ कमियां रह गई हैं। सचिव महोदया ने प्रतिनिधि से प्रतियोगिताओं को आयोजित करने तथा कार्मिकों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित करने को कहा। साथ ही उन्हें सुझाव दिया कि आप अन्य भाषाओं में भी कार्य को बढ़ावा दे सकते हैं चूँकि आपके यहाँ PPP मॉडल पर कार्य किया जाता है।

6.5 आवासन और शहरी कार्य-मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। मंत्रालय द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है हालाँकि 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त किया गया है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है तथा वेबसाइट पर ज्यादातर लिंक हिन्दी में दिए गए हैं जो कि सराहनीय है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि ई-ऑफिस में कंठस्थ पर कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा इस कार्य के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है जो इस कार्य को नियंत्रित कर रहे हैं। मंत्रालय की वेबसाइट को और उन्नत बनाया जा रहा है तथा इसके लिए माननीय मंत्री जी की सलाह पर लगभग पुरानी 300 चिट्ठियों को द्विभाषी किया जा रहा है। मंत्री जी आधिकारिक तौर पर गैर हिन्दी क्षेत्र से हैं, फिर भी उन्होंने हिंदी के कार्य पर काफी बल दिया है।

6.6 इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है तथा यह गत वर्ष से कम है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परंतु आईटी एक्ट की धारा 69-ए, सहायता लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि मंत्रालय द्वारा सभी नियमों की अनुपालना की जा रही है। कमियों पर मंत्रालय ध्यान दे रहा है। हिन्दी में कार्य को लेकर मंत्रालय काफी सुधार कर रहा है तथा कार्यशाला भी आयोजित की जा रही है। हमारी वेबसाइट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा देखी जाती है इसलिए इसके द्विभाषीकरण में कुछ समस्याएँ आ रही हैं। सचिव महोदया ने सुझाव दिया की कुछ भी द्विभाषी होने से उसे देखने वाले कम नहीं होंगे। साथ ही टिप्पण की प्रतिशतता को बढ़ाने पर भी विशेष पर ध्यान दिया जाए ।

6.7 इस्पात मंत्रालय

इस्पात मंत्रालय की समीक्षा में पाया गया है कि धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। मंत्रालय द्वारा 'क', और 'ख' क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है हालाँकि 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। हालांकि, अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की प्रतिशतता शत-प्रतिशत है। हिन्दी में कार्य करने वाले आशुलिपिकों एवं टंककों की प्रतिशतता भी शत-प्रतिशत है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परंतु सूचना का अधिकार एवं निविदा के लिंक हिन्दी में उपलब्ध नहीं हैं।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि हमारे मंत्रालय में कई कार्यालय मुख्यतः 'ग' क्षेत्र में उपस्थित हैं। मंत्रालय का अधिकतम कार्य तकनीकी प्रकृति का है तथा पत्र बहुत ही तत्काल भेजे जाने होते हैं इसलिए कार्य अंग्रेजी में कर लिया जाता है हालाँकि उसका हम कई बार बाद में अनुवाद कर लेते हैं इसलिए 'ग' क्षेत्र में हमारा प्रतिशतता कम है। मिसिलों में जो टिप्पणियाँ हिन्दी में करने का प्रयास किया जा रहा है, इसे और सुधारने का प्रयास किया जाएगा। वेबसाइट को पूर्णतः द्विभाषी बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है साथ ही दिशा-निर्देश दे दिया गया है कि अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी सामग्री अपलोड करें। ई-ऑफिस पर कंठस्थ में कार्य करने के लिए दो कार्यशालाएं आयोजित की गयी हैं तथा सभी इस कार्य में रुचि ले रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री महोदय गैर हिन्दी क्षेत्र से हैं फिर भी वे प्रयास कर रहे हैं कि अधिकतर कार्य हिन्दी में ही हों।

6.8 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है । मंत्रालय द्वारा 'क', और 'ख' क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है हालाँकि 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। मंत्रालय में हिन्दी टंककों की संख्या शून्य दर्शायी गई है तथा मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की प्रतिशतता शत-प्रतिशत है। मंत्रालय की वेबसाइट पर अधिकतर लिंक हिंदी में हैं जो कि सराहनीय है ।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि हमारे यहाँ हिन्दी टंकक नहीं है इसलिए आंकड़ा शून्य दिख रहा है। प्रतिनिधि ने सहायक निदेशक या उप निदेशक के रिक्त पदों को भरने का अनुरोध किया तथा कमियों को सुधारने का आश्वासन दिया।

6.9 उपभोक्ता मामले विभाग

विभाग की समीक्षा में पाया गया है कि धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। विभाग द्वारा 'क' व 'ख' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है जबकि 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। हालांकि, अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की प्रतिशतता शत-प्रतिशत है। विभाग में हिन्दी में काम करने वाले टंककों की प्रतिशतता शून्य है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परंतु नागरिक अधिकार पत्र लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं हैं।

विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि हमारे यहाँ हिन्दी टंकक की पोस्ट नहीं है। हमारे यहाँ नई वेबसाइट बनाई जा रही है तथा जो कमियाँ हैं उन्हें दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

6.10 उर्वरक विभाग

विभाग द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। यह आंकड़ा लक्ष्य से काफी पीछे है जबकि शत-प्रतिशत कार्मिकों को हिन्दी का ज्ञान है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परंतु नियम एवं शर्तें, निविदा,आजादी का अमृत महोत्सव (अकाम), अधिसूचना (शिपिंग) एवं प्रकाशन/रिपोर्ट के लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं हैं।

विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि हमारे यहाँ तकनीकी कार्य ही ज्यादा है जिसके कारण पत्राचार की प्रतिशतता कम है। वेबसाइट पर कार्य चल रहा है तथा इसे जल्द ही द्विभाषी कर लिया जाएगा। टिप्पणियों की रिपोर्टिंग ठीक से नहीं हो पा रही है अतः रिपोर्ट पर आंकड़े परिलक्षित नहीं हो रहे हैं ।

6.11 उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

विभाग द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। विभाग द्वारा 'क' व 'ख' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है जबकि 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त किया गया है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। विभाग में हिंदी में कार्य करने वाले आशुलिपिकों की संख्या कम है । मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परंतु विजन और मिशन एवं निविदा लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

इस संबंध में विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि आशुलिपिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा जल्द ही हिंदी में कार्य की प्रतिशतता बढ़ेगी। टंकण तथा नोटिंग में हो रही कठिनाईयों को हल करने का प्रयास किया जा रहा है। विभाग द्वारा चलाए गए **'हिन्दी परिवार आपके द्वार'** कार्यक्रम को काफी सराहना भी मिल रही है तथा इस दिशा में हम और आगे बढ़ने को अग्रसर भी हो रहे हैं। सचिव महोदया ने सुझाव दिया कि आपका अधिकतर कार्य तकनीकी स्वभाव का है अतः सरल हिंदी का अधिक प्रयोग करने का प्रयास किया जाए।

अनिल कुमार

6.12 औषध विभाग

'विभाग द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की प्रतिशतता शत-प्रतिशत है। विभाग में हिन्दी में काम करने वाले टंककों की प्रतिशतता शून्य है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है तथा ज्यादातर लिंक की सूचना हिन्दी में दी गई है जो कि सराहनीय है।

विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि उपरोक्त कमियों को विभाग द्वारा हल करने की कोशिश हो रही है तथा हिंदी में कार्य को बढ़ावा देने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है । हिन्दी कार्यशाला के द्वारा कार्मिकों को प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे यहाँ तकनीकी शब्दावली ज्यादा उपयोग की जाती है जिसके कारण कर्मचारियों/अधिकारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कार्यालय में टंकक नहीं हैं अतः शून्य दर्शाए गए हैं । इस दिशा में अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में काम-काज करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है । हमारे विभाग में हिन्दी के सहायक निदेशक तथा उप निदेशक का पद काफी समय से रिक्त है।

6.13 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

विभाग की समीक्षा में पाया गया है कि धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। विभाग द्वारा 'क', 'ख' क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है हालाँकि यह लक्ष्य की ओर अग्रसर है वहीं 'ग' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की प्रतिशतता तथा हिन्दी में काम करने वाले टंककों की प्रतिशतता शत-प्रतिशत है। विभाग की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है। संगठन संरचना, महत्वपूर्ण लिंक और सूचनाएं हिंदी में उपलब्ध नहीं है।

विभाग की ओर से शामिल हुए प्रतिनिधि ने बताया कि वेबसाइट को ठीक किया जा रहा है तथा इसे बना रही एजेंसी के बदलने की वजह से समस्या आ रही है जिसे दूर कर लिया जाएगा।

6.14 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

मंत्रालय की समीक्षा में पाया गया है कि धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। विभाग द्वारा 'क' व 'ख' क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है जबकि 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। हालांकि, अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की प्रतिशतता तथा हिन्दी में काम करने

वाले टंककों की प्रतिशतता शत-प्रतिशत है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परंतु सिटीजन चार्टर, डी.ए. और एफ.डब्ल्यू के संगठनात्मक चार्ट लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

शामिल हुए प्रतिनिधि ने बताया कि हमारे विभाग की टिप्पणियाँ जो दिखाई जा रही है उसकी रिपोर्टिंग ठीक से नहीं हुई है। अब हमारे यहाँ माननीय मंत्री तथा सचिव महोदय की सक्रियता से हमारा सारा काम लगभग हिन्दी में करने का प्रयास किया जा रहा है। हमें विश्वास है कि अगली बार हमारे यहाँ से जो भी पत्राचार होगा सौ प्रतिशत होगा क्योंकि हमारे मंत्रीजी खुद इस मामले में काफी सजग हैं।

6.15 कारपोरेट कार्य मंत्रालय

मंत्रालय की समीक्षा में पाया गया है कि धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। विभाग द्वारा 'क' व 'ख' क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार की स्थिति संतोषजनक है वहीं 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है तथा शत-प्रतिशत कार्मिकों को हिन्दी का ज्ञान है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परंतु सूचना का अधिकार, सहायता और पूछे गए प्रश्न, नागरिक चार्टर, निविदा, भर्ती, संगठन संरचना एवं मोबाइल एप्प पॉलिसी लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं हैं।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि हमारे मंत्रालय में वेबसाइट का नवीनीकरण किया जा रहा है तथा इसे हिन्दी विकल्प के साथ जल्द ही कर लिया जाएगा ।

6.16 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

विभाग द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की प्रतिशतता तथा हिन्दी में कार्य करने वाले आशुलिपिकों की प्रतिशतता शत-प्रतिशत है। हिन्दी में काम करने वाले टंककों की प्रतिशतता शून्य दर्शाई गई है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है तथा संगठन चार्ट, सूचना का अधिकार, भर्ती लिंक की सूचना, निविदा टैब हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि हमारे विभाग का हिन्दी में पत्राचार पिछले साल से बढ़ा है और इसको और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे यहाँ कोई टंकक नहीं है। हम लोग एमटीएस को प्रशिक्षण दे रहे हैं। वेबसाइट को सुधारा जा रहा है और इसे जल्द ही अपडेट कर लिया जाएगा । हिन्दी के साथ अंग्रेजी संस्करण को भी एनआईसी के साथ बात कर अपलोड कराने का प्रयास करेंगे। प्रतिनिधि ने सहायक निदेशक तथा संयुक्त निदेशक का पद भरे जाने का आग्रह किया। सचिव महोदया ने प्रतिनिधि से रिक्त पदों की जानकारी तथा कंठस्थ के प्रशिक्षण के संबंध में सूचना मांगी जिसके संबंध में प्रतिनिधि ने बताया कि कंठस्थ की कार्यशाला दो बार आयोजित की जा चुकी है तथा रिक्त पदों की सूचना भेज दी गयी है ।

6.17 कोयला मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है तथा निविदाएं, सूचना का अधिकार, सार्वजनिक जानकारी एवं सहायता, अधिनियम एवं नीतियाँ व अन्य कई लिंक हिन्दी में उपलब्ध नहीं हैं।

मंत्रालय के प्रतिनिधि के बताया कि रिपोर्ट में कमियाँ हैं तथा इसे भविष्य में सुधारा जाएगा। हिन्दी पदों की जानकारी भेज दी गयी है। फोनेटिक टंकण सिखाने की कोशिश जारी है तथा कंठस्थ के लिए भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। माननीय मंत्री जी के आदेशानुसार सैकड़ों पुराने अर्धशासकीय पत्रों का हिन्दी में अनुवाद करवाया जा रहा है। प्रतिनधि ने बताया की कार्यालय में डी.ई.ओ. तथा अन्य कार्मिक ज्यादा हैं और हिंदी प्रतियोगिता में उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए। सचिव महोदय ने सम्बंधित अधिकारी को इस पर ध्यान देने तथा आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।

6.18 खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

विभाग द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क', 'ख' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार की स्थिति संतोषजनक है वहीं 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की प्रतिशतता, हिन्दी आशुलिपिकों तथा हिन्दी टंककों की प्रतिशतता शत-प्रतिशत है। मंत्रालय की वेबसाइट पर निविदा एवं भर्ती टैब हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

उपस्थित प्रतिनिधि ने बताया कि हिन्दी पत्राचार तथा फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण की प्रतिशतता बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हिन्दी पदों की सूचना जारी कर चुके हैं। वेबसाइट पर कार्य किया जा रहा है तथा इसे जल्द ही अपडेट कर द्विभाषी कर लिया जाएगा।

6.19 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन नहीं किया गया है। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। मंत्रालय में हिन्दी आशुलिपिकों तथा हिन्दी टंककों की प्रतिशतता शून्य दर्शाई गई है। संगठन चार्ट और नागरिक चार्टर लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि धारा-3 का हम पूर्ण पालन कर रहे हैं तथा रिपोर्टें सही न हो पाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है । सचिव महोदया ने रिपोर्टिंग पर ध्यान देने को कहा । इस संबंध में प्रतिनिधि ने सूचित किया कि

अब पर्याप्त अधिकारियों ने पदभार ग्रहण कर लिया है तथा रिपोर्टिंग को ठीक कर लिया जाएगा। सहायक निदेशक तथा उप निदेशक का पद रिक्त है।

6.20 उच्चतर शिक्षा विभाग (शिक्षा मंत्रालय)

विभाग द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। विभाग के वेबसाइट पर सूचना का अधिकार, संगठन संरचना एवं नागरिक चार्टर लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि पत्राचार/टिप्पणियों का सवाल है उस पर नियमित अवलोकन किया जा रहा है तथा इस दिशा में आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है। पत्राचार तथा टिप्पण में वृद्धि हेतु नियमित रूप से कार्यशाला का आयोजन कर कार्मिकों को प्रेरित किया जा रहा है। वेबसाइट को जल्द ही द्विभाषी कर लिया जाएगा। कार्मिकों को स्थानीय भाषा और मातृभाषा में काम करने को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

6.21 खान मंत्रालय

मंत्रालय की समीक्षा में पाया गया है कि धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। विभाग द्वारा 'क', 'ख' क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है जबकि 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त किया गया है। अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की प्रतिशतता शत-प्रतिशत है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु सूचना का अधिकार लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं हैं।

प्रतिनिधि ने बताया कि हम हिन्दी पत्राचार के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। वेबसाइट पर जो भी लिंक हैं उसे शत प्रतिशत हिन्दी में भी करने का प्रयास कर रहे हैं।

6.22 ग्रामीण विकास मंत्रालय

मंत्रालय की समीक्षा में पाया गया है कि धारा 3(3) का पालन किया गया तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन नहीं किया गया। विभाग द्वारा 'क' व 'ख' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है जबकि 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त किया गया है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की प्रतिशतता शून्य है। मंत्रालय की वेबसाइट पर कौन क्या है, संगठन संरचना, वरिष्ठ अधिकारी कार्य आवंटन एवं सूचना का अधिकार लिंक हिन्दी में उपलब्ध नहीं हैं।

प्रतिनिधि के बताया कि रिपोर्ट भरने में गलती हुई है और जो अधिकारियों की संख्या बताई गई है वह भी गलत है। हमारे माननीय मंत्री जी के लिए फाइलों में नोटिंग/ड्राफ्टिंग हिन्दी में होती है। विभाग में सचिव

अनिल कुमार

महोदय भी हिन्दी को बढ़ावा देने पर ध्यान दे रहे हैं। वेबसाइट पर काम चल रहा है और यह अब लगभग ठीक कर लिया गया है।

6.23 भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का कार्यालय

कार्यालय द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। विभाग द्वारा 'क', 'ख' क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है हालाँकि यह लक्ष्य के करीब है जबकि 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त किया गया है । कार्यालय की वेबसाइट बाई-डिफाल्ट हिन्दी में खुलती है जो कि सराहनीय है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु टेलीफोन निर्देशिका हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि जहाँ तक वेबसाइट में कुछ कमियां हैं उन्हें जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। प्रतिनिधि ने हिंदी के लिए समर्पित होकर अच्छा कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई।

6.24 जनजातीय कार्य मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की प्रतिशतता तथा हिन्दी में कार्य करने वाले टंककों की प्रतिशतता शत-प्रतिशत है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु बहुत सारे लिंक हिन्दी में उपलब्ध नहीं हैं तथा कौन क्या है, नागरिक चार्टर, निविदा एवं भर्ती टैब की सूचना उपलब्ध नहीं है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि हिन्दी के काम को बढ़ावा दिया जा रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में मातृभाषा के स्तर पर भी काम किया जा रहा है । पत्राचार की रिपोर्टिंग ठीक से नहीं हो पायी है । प्रतिनिधि ने बताया कि हमारे मंत्रालय द्वारा जनजातियों की लगभग लुप्त हो रही 100 भाषाओं को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। सचिव महोदया ने जनजातीय भाषाओं की संख्या की जानकारी मांगी। प्रतिनिधि ने सूचित किया की इनकी संख्या लगभग 100 है तथा ये और बढ़ सकती है।

6.25 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। विभाग द्वारा 'क' व 'ख' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है जबकि 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त किया गया है । फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। 143 प्रतिशत अधिकारी शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में कर रहे हैं इस आंकड़े पर ध्यान दिए जाने की जरुरत है। मंत्रालय की वेबसाइट पर

अनिल कुमार

हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है मगर सूचना का अधिकार, नागरिक चार्टर एवं निविदा लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि वेबसाइट पर भाषा के विकल्प का प्रस्ताव अच्छा है तथा इसे लागू करते हुए दस्तावेजों को हिन्दी में अपलोड करवाने का प्रयास किया जाएगा। हमारे मंत्रालय में दो सहायक निदेशक के पद हैं और दोनों पद अब तक खाली हैं। इसके कारण कार्य प्रभावित हो रहा है साथ ही उन्होंने कमियों को दूर करने का आश्वासन दिया।

6.26 डाक विभाग

विभाग की समीक्षा में पाया गया है कि धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। विभाग द्वारा 'क' व 'ख' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है जबकि 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है हालाँकि यह लक्ष्य के काफी करीब है। अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की प्रतिशतता शत-प्रतिशत है तथा हिन्दी में कार्य करने वाले कार्मिक भी शत-प्रतिशत हैं। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु निष्पादन डैशबोर्ड, भारतीय निविदाएं, कर्मचारी कोना, साइटमैप, सहायता, डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा एवं रिटेल सेवा लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि डाक विभाग आम जन से जुड़ा विभाग है तथा हमारा पूरा प्रयास होता है कि हिन्दी में ही कार्य किया जाए। डाक क्षेत्र में GDS की संख्या काफी है और उनसे जुड़े हुए कार्य हिंदी में ही किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए और भी प्रयास कर रहे हैं। पत्र लेखन प्रतियोगिता कराई जाती है जिसमें हिन्दी के अलावा स्थानीय भाषाओं में भी सीख रहे हैं। देशभर में हिन्दी की कार्यशालाएं आयोजित कराई जा रही है तथा हिन्दी में डाक टिकट निकाला जाता है। वेबसाइट का कार्य सीबीडीटी मैसूर से होता है तथा उस एजेंसी को वेबसाइट को द्विभाषी करने हेतु निर्देशित किया गया है। भविष्य में कोई भी जानकारी अपलोड की जाएगी उसे हिन्दी में भी अपलोड करवाने का प्रयास किया जाएगा।

6.27 दूरसंचार विभाग

समीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन नहीं किया गया है। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है तथा प्रतिशत पिछले साल की तरह इस साल भी लक्ष्य से काफी कम है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया गया है। अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की प्रतिशतता, हिन्दी में कार्य करने वाले आशुलिपिकों तथा हिन्दी में कार्य करने वाले टंककों की प्रतिशतता शत-प्रतिशत है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु निर्देशिका, संगठनात्मक संरचना, डाउनलोड एवं आयोजन की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

विभाग के ओर से भाग लेने वाले प्रतिनिधि ने बताया कि आंकड़े मार्च, 2024 तक के हैं तथा इसमें अभी और बढ़ोत्तरी की संभावना है। जून में रिपोर्टिंग गलत की गई है और भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा । भविष्य में इस दिशा में सुधार किया जाएगा।

6.28 सहकारिता मंत्रालय

सहकारिता मंत्रालय से संबंधित वित्तीय वर्ष की कोई भी तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

मंत्रालय द्वारा भाग लेने वाले प्रतिनिधि ने बताया कि यह मंत्रालय नया है तथा 2022 से ही कार्य शुरू हुआ है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग/टिप्पणी शुरू कर दी गई है। फिलहाल अधिकारियों की संख्या भी कम है लेकिन भविष्य में सारे कार्य यथासमय किए जायेंगे। वेबसाइट की कमियों को यथाशीघ्र सुधार कर अपडेट कर लिया जाएगा।

6.29 नागर विमानन मंत्रालय

मंत्रालय की समीक्षा में पाया गया है कि धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। मंत्रालय द्वारा 'क' व 'ख' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है जबकि 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है । अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की प्रतिशतता शत-प्रतिशत है तथा हिन्दी में कार्य करने वाले टंककों का प्रतिशत भी शत-प्रतिशत है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु संगठन चार्ट, निविदाएं, अधिकारियों के बीच कार्य आवंटन, सूचना का अधिकार एवं यात्री चार्टर के अधिकार की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है। मंत्रालय को वर्ष 2023-24 में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि प्रतिशतता को बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है । कंठस्थ का काफी प्रयोग किया जा रहा है तथा इसके लिए कार्यशाला का आयोजन भी किया जा रहा है। हिंदी सलाहकार समिति की बैठक हेतु मंत्री जी से अनुमोदन करा लिया गया है तथा जैसे ही नाम आ जाते हैं, तत्काल प्रभाव से राजभाषा विभाग को फाइल भेज दी जाएगी। वेबसाइट की कमियों को NIC के साथ समन्वय कर यथाशीघ्र अपडेट कर लिया जाएगा।

6.30 दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

विभाग द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। हालाँकि 'ग' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है, फिर भी पिछले सालों की तुलना में इस साल बढ़ोतरी हुई है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है तथा इसमें सुधार की आवश्यकता है। अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की प्रतिशतता शत-प्रतिशत है तथा हिन्दी में कार्य करने वाले टंककों की

अनिल कुमार

संख्या भी शत-प्रतिशत है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु विभाग के उपयोगी लिंक एवं कर्मचारी कोना लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि हिन्दी पत्राचार तथा विभाग के लगभग सारे कार्य हिन्दी में किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ नोटिंग/ड्राफ्टिंग/पीपीटी का सारा कार्य हिन्दी में शुरू कर दिया गया है। विभाग ने भी इस पर संज्ञान लिया है। सारे अधिकारियों/कर्मचारियों को भी हिन्दी में करने के आदेश दिए जा चुका हैं। वेबसाइट पर कार्य किया जा रहा है तथा इसमें हिंदी व अंग्रेजी भाषा का विकल्प है। मंत्रालय के तीनों माननीय मंत्री भी काम-काज हिन्दी में ही चाहते हैं। अनुवाद का काम काफी बढ़ गया है। प्रतिनिधि ने बताया कि उनके यहाँ सहायक निदेशक का पद रिक्त है ।

6.31 न्याय विभाग

विभाग द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है तथा टिप्पण काफी कम है । अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की प्रतिशतता शत-प्रतिशत है परंतु हिन्दी टंककों की संख्या शून्य दर्शाई गई है और विभाग में शत प्रतिशत हिन्दी में कार्य करने वालों की संख्या भी शून्य है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु निविदा एवं भर्ती लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

भाग लेने वाले प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि जो भी कमियाँ पाई गई हैं उन्हें अगली बैठक से पहले सुधार लिया जाएगा।

6.32 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

समीक्षा में पाया गया है कि धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। मंत्रालय द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है जबकि 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त किया गया है। अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की प्रतिशतता तथा हिन्दी में कार्य करने आशुलिपिकों की प्रतिशतता में कमी आई है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु संसाधन (पीएम-सोलर घरः सौर रूफटॉप कैलकुलेटर) एवं पोर्टल लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि हमारा मंत्रालय तकनीकी है फिर भी अधिकतर कार्य हिंदी में ही करने का प्रयास किया जा रहा है। कर्मचारियों तथा अधिकारियों को अधिकतर कार्य हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है । माननीय मंत्री जी के लिए सारी चीजें हिन्दी में प्रेषित की जा रही हैं। वेबसाइट में जो कमियाँ हैं उन्हें सुधार लिया जाएगा। सहायक निदेशक का पद रिक्त है । मंत्रालय में कई चीजें नई हो रही हैं तथा कंठस्थ टूल पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

6.33 वस्त्र मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। हिन्दी टंककों की प्रतिशतता शत-प्रतिशत है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परंतु नीतियां एवं भर्ती लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि दो-तीन वर्षों के आंकड़े हम देखें तो प्रतिशतता में बढ़ोतरी हुई है। हमारे माननीय मंत्री जी हिन्दी प्रेमी हैं। मंत्री जी का साफ कहना है कि मंत्रालय के सभी कार्य हिन्दी में होने चाहिए तथा इसके लिए लिखित निर्देश भी जारी किए गए हैं। संयुक्त सचिव महोदया ने लिखित आदेश की प्रति प्रदान करने के लिए कहा।

प्रतिनिधि ने बताया कि आने वाले समय में प्रतिशतता और बढ़ेगी। वेबसाइट के लिए संबंधित अनुभाग के साथ बैठक कर रहे हैं। कुछ समय बाद यह समस्या भी दूर कर ली जाएगी। मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए गए हैं। बहुत सारे कार्यालयों में अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाता है। अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों में भी हिन्दी को लेकर प्रोत्साहन बढ़ा है। जिस कार्यालय में हिन्दी का पद नहीं है, वहाँ पर राजभाषा विभाग की ओर से पद सृजित किया जाए।

6.34 निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

विभाग द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है वहीं 'ग' क्षेत्र में पत्राचार को शून्य दर्शाया गया है। विभाग द्वारा फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण की प्रतिशतता को प्राप्त कर लिया है। हिन्दी टंककों की प्रतिशतता शत-प्रतिशत है। विभाग की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परंतु भारत का ओपन डेटा पोर्टल लिंक की सूचना अंग्रेजी में है। अधिकारियों/ कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की प्रतिशतता शत-प्रतिशत है जो कि सराहनीय है।

विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि हमारा कोई अधीनस्थ कार्यालय नहीं है तथा कोई पत्राचार नहीं होता है, इसलिए 'ग' क्षेत्र में आंकड़े शून्य दर्शाए गए हैं। वेबसाइट द्विभाषी है हालाँकि कुछ कमियां हैं उन्हें जल्द ही दूर कर लिया जाएगा।

6.35 नीति आयोग

आयोग द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है परंतु 'ग' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। आयोग द्वारा फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण की प्रतिशतता

अशोक कुमार

को प्राप्त नहीं किया जा सका है। अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की प्रतिशतता शत-प्रतिशत है जो कि सराहनीय है मगर हिन्दी में काम करने वाले टंककों की संख्या शून्य दर्शाई गई है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु कौन क्या है, सूचना का अधिकार, नागरिक चार्टर, निविदा आदि लिंक हिन्दी में उपलब्ध नहीं हैं।

आयोग के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि टंकक का कोई पद नहीं है इसलिए आंकड़े शून्य दिखाए गए हैं। वेबसाइट पर कार्य किया जा रहा है तथा जो भी कमियां हैं उन्हें जल्द ही दूर कर लिया जाएगा।

6.36 पंचायती राज मंत्रालय

पंचायती राज मंत्रालय से संबन्धित वित्तीय वर्ष की कोई भी तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। मंत्रालय की वेबसाइट बाई-डिफॉल्ट हिंदी में खुलती है जो कि सराहनीय है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि रिपोर्ट ऑनलाइन नहीं भेजी जा रही है तथा इसे सुधार लिया जाएगा। सभी बिन्दुओं पर सुधार करने की कोशिश जारी है।

6.37 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है परंतु 'ग' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है जो कि सराहनीय है। अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की प्रतिशतता शत-प्रतिशत है परंतु हिन्दी में काम करने वाले टंककों की संख्या शून्य दर्शाई गई है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु सूचना का अधिकार, संगठन की संरचना, फोन निर्देशिका, कौन क्या है, निविदा, कर्मचारी कोना एवं सिटिजन चार्टर के लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि पत्राचार को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। टंकक की संख्या शून्य दर्शाना एक तकनीकी चूक है, इसे सुधार लिया जाएगा। वेबसाइट पर कार्य किया जा रहा है तथा इसे जल्द ही ठीक करवा दिया जाएगा। सभी बिन्दुओं पर सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है।

6.38 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। हालाँकि यह लक्ष्य की ओर अग्रसर है। 'ग' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है जो कि सराहनीय है। विभाग द्वारा फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है। हिन्दी में कार्य करने वाले आशुलिपिकों तथा टंककों की प्रतिशतता शत-प्रतिशत है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा

के चयन का विकल्प है परन्तु सूचना का अधिकार, संगठन की संरचना, फोन निर्देशिका, कौन क्या है, निविदा, कर्मचारी कोना एवं सिटिजन चार्टर के लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

प्रतिनिधि ने बताया कि वेबसाइट की कमी पर ध्यान दिया जा रहा है। हमारे यहाँ सहायक निदेशक तथा उप निदेशक के दो पद रिक्त हैं इसलिए हिन्दी का काम-काज प्रभावित हो रहा है। प्रतिनिधि को सुझाव दिया गया की रिक्त पदों के भरे जाने तक परामर्शदाता की नियुक्ति की जा सकती है।

6.39 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (जल शक्ति मंत्रालय)

विभाग द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार का लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है परंतु 'ग' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है जो कि सराहनीय है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। इस मंत्रालय की साइट बाई-डिफाल्ट हिन्दी में खुलती है जो कि सराहनीय है। संगठनात्मक चार्ट, सूचना का अधिकार, अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य, निविदा, आरडब्ल्यूपीएफ पोर्टल एवं अन्य लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं हैं।

विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि वेबसाइट से जुड़े कई कार्य हो चुके हैं। इसे शीघ्र ही वेबसाइट पर अपलोड करवा दिया जाएगा। सहायक निदेशक का पद रिक्त है। मंत्रालय में सहायक निदेशक की बहुत आवश्यकता है।

6.40 परमाणु ऊर्जा विभाग

विभाग द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार का लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है परंतु 'ग' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। जबकि अधिकारियों/कर्मचारियों के हिन्दी ज्ञान की प्रतिशत 100 है। विभाग में टंककों की संख्या शून्य दर्शाई गई है। विभाग की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है हालाँकि निविदा, रिक्तियां, उपलब्धियां, एवं कैरियर लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है।

विभाग के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि 'ख' क्षेत्र में पत्राचार बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। वेबसाइट कमजोर कड़ी है, उस पर काम किया जा रहा है। विभाग में कंठस्थ पर काफी काम किया जा रहा है। विभाग में हिंदी पदों की काफी कमी है ।

6.41 पर्यटन मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। मंत्रालय द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। मंत्रालय द्वारा फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु नागरिक चार्टर, निविदाएं एवं भर्ती लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि तिमाही प्रगति रिपोर्ट यथाशीघ्र भेज दी जाएगी। हिंदी में कार्य किया जा रहा है तथा पत्राचार बढ़ाने के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। वेबसाइट पर कार्य किया जा रहा है और इसे जल्द से जल्द ठीक कर दिया जाएगा।

6.42 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। मंत्रालय द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया जबकि अधिकारियों/कर्मचारियों के हिन्दी ज्ञान का प्रतिशत 100 है। फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है तथा इसकी प्रतिशतता बहुत कम है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु संगठन चार्ट, कौन क्या है, निविदा एवं सूचना का अधिकार के लिंक हिन्दी में उपलब्ध नहीं हैं।

प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उनके मंत्रालय में अधीनस्थ कार्यालयों में वैज्ञानिक ज्यादा हैं। हालाँकि उनका प्रयास यही होता है की सारे कार्य हिंदी में किए जाएँ। कई अनुवादकों को काम पर लगाया गया है तथा वरिष्ठ अधिकारी स्वतः संज्ञान लेकर हिंदी में कार्य कर रहे हैं।

6.43 प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

विभाग द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है परंतु 'ग' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं जो कि सराहनीय है। विभाग द्वारा फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है। विभाग में हिन्दी में काम करने वाले आशुलिपिकों की प्रतिशतता 100 प्रतिशत है। विभाग की वेबसाइट पर हिन्दी भाषा के चयन करने पर वेबसाइट नहीं खुल रही है।

विभाग के प्रतिनिधि ने बताया वेबसाइट पर कुछ तकनीकी समस्या है इसे ठीक करा लिया जाएगा। हमारे यहाँ दोनों भाषाओं में कार्य हो रहा है। विगत वर्ष के मुकाबले प्रतिशत बढ़ा है हालाँकि लक्ष्य से कम है और इसे सुधार लिया जाएगा। हम आंकड़ों का लक्ष्य शत प्रतिशत पूरा कर लेंगे। हमारे सचिव के द्वारा आजकल जो बैठक ली जा रही हैं उसमें भी सारा कार्य लगभग हिन्दी में हो रहा है। हमारे विभाग के लक्ष्य में बढ़ोत्तरी को अगली बैठक में देखा जा सकता है।

6.44 पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

विभाग द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार की स्थिति बेहतर है तथा 'ग' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है जो कि सराहनीय है । फाइलों पर हिन्दी टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। हिन्दी में कार्य करने वाले टंककों की संख्या शून्य दर्शाई गई है। विभाग की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु निविदाएं एवं पेंशन मंच के लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि वेबसाइट पर कार्य किया जा रहा है हमारे यहाँ निविदाएँ बहुत कम होती हैं। उन्होंने बताया कि उनके यहाँ टंकक नहीं हैं इसलिए संख्या शून्य दर्शाई गई है । DOPT को टंकक प्रदान करने के लिए लिखा गया है। उन्होंने बताया कि इस तरह की व्यवस्था की गयी है जिससे डेस्क पर मौजूद टंकक प्रशिक्षित होते रहेंगे। हिन्दी पखवाड़ों में मौलिक लेखन प्रतियोगिता के लेखों का प्रकाशन '**सोपान**' के रूप में किया गया है। कुछ कमियाँ हैं उसको सही करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा विभाग छोटा सा ही है परन्तु इसका काम-काज सराहनीय है। हमारे यहाँ कनिष्ठ अनुवादक का पद रिक्त है।

6.45 पशुपालन और डेयरी विभाग

विभाग द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया तथा इसमें पिछले साल की अपेक्षा कमी हुई है वहीं 'ग' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। फाइलों पर हिन्दी टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है। हिन्दी में कार्य करने वाले टंककों की संख्या शून्य दर्शाई गई है। विभाग की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु सूचना का अधिकार लिंक हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

प्रतिनिधि ने बताया कि हमारे यहाँ 'कंठस्थ' का काफी प्रयोग किया जा रहा है तथा इससे हिंदी में कार्य करने में काफी सुविधा हुई है। टिप्पणियों में हम खुद 'कंठस्थ' का प्रयोग करते हैं। माननीय मंत्री जी हिन्दी में ही सारा कार्य करना पसंद करते हैं। वेबसाइट को बाई-डिफाल्ट हिंदी में करवा दिया गया है तथा आरटीआई लिंक को भी बहुत जल्द हिन्दी में कर दिया जाएगा। सितंबर तिमाही की QPR रिपोर्ट को वेबसाइट पर बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। सभी कार्यालयों में निरीक्षण कर लिया गया है। विभाग में सभी कार्मिकों को हिन्दी के प्रति जागरूक करने का प्रयास भी किया जा रहा है। विभाग में हिन्दी पखवाड़ा बहुत अच्छे तरीके से मनाया गया है। विभाग द्वारा 'सुरभि' पत्रिका का विमोचन बहुत जल्द करा दिया जाएगा। परामर्शदाता की नियुक्ति की गयी है।

6.46 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। मंत्रालय द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया। फाइलों पर

हिन्दी में टिप्पण की प्रतिशतता बहुत कम है। टंककों की संख्या शून्य दर्शाई गयी है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है मगर निविदाएं, सूचना का अधिकार एवं आदेश के लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि हमारे अधिकतर अधीनस्थ कार्यालय 'ग' क्षेत्र में है। नियमों के अनुपालन हेतु पूरा प्रयास किया जाता है तथा पत्राचार में वृद्धि हेतु मंत्रालय का प्रयास जारी है। पदों की संख्या बहुत कम है जिसके कारण वेबसाइट का कार्य प्रभावित होता है। मंत्रालय द्वारा वेबसाइट को अविलम्ब द्विभाषी कर लिया जाएगा। मंत्रालय में टंकक की जगह डीईओ को तैनात किया गया है अतः उसकी सूचना भी हम नहीं दे पाते हैं। मंत्रालय में सहायक निदेशक का पद रिक्त है और एक महिला कर्मचारी मातृत्व अवकाश पर हैं इसलिए हिन्दी का काम-काज प्रभावित हो रहा है। हिन्दी सलाहकार समिति के गठन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है तथा फ़ाइल माननीय मंत्री जी के पास है। ई-ऑफिस में कंठस्थ के इंटीग्रेशन को पूरा कर लिया गया है। हमारा पूरा प्रयास है कि अधिकतम कार्य हिंदी में ही किया जाये।

6.47 बायोटेक्नोलॉजी विभाग

विभाग द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है तथा इसमें पिछले साल की अपेक्षा कमी हुई है वहीं 'ग' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। फाइलों पर हिन्दी टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है तथा यह पिछले साल की अपेक्षा कम हुई है। विभाग की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है मगर नीति, संगठनात्मक संरचना डी.बी.टी. सूचना का अधिकार एवं निविदा लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

प्रतिनिधि ने बताया कि लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा तथा वेबसाइट पर कार्य किया जा रहा है और आने वाले दिनों में इसे द्विभाषी कर लिया जाएगा। वेबसाइट हिन्दी में है तथा हिंदी से जुड़े अन्य कार्य भी अच्छे तरीके से किए जा रहे हैं।

6.48 भूमि संसाधन विभाग

विभाग द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है वहीं 'ग' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है जो कि सराहनीय है। फाइलों पर हिन्दी टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। अधिकारियों/कर्मचारियों के हिन्दी ज्ञान की प्रतिशतता तथा हिन्दी में कार्य करने वाले टंककों की संख्या शत-प्रतिशत है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु संगठन, योजनाएं, निविदाएं एवं सूचना का अधिकार की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

प्रतिनिधि ने बताया कि जो भी कमियाँ हैं उन्हें दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी OLIC की बैठकों में हिंदी अनुभाग के लक्ष्यों पर चर्चा की जाती है। इन बैठकों में सभी अनुभागों के प्रतिनिधि आते हैं जो हिन्दी अनुभाग

की तारीफ करते हैं। कंठस्थ का काफी प्रयोग किया जा रहा है। विभाग द्वारा समय-समय पर हिन्दी प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाता है। वेबसाइट कि कमियों में सुधार करते हुए पर यथाशीघ्र उसे ठीक कर लिया जाएगा।

6.49 गृह मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। फाइलों पर हिन्दी टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है तथा यह लक्ष्य से काफी पीछे है। मंत्रालय की वेबसाइट पर संगठनात्मक ढांचा, निविदाएं, नागरिक चार्टर एवं सूचना का अधिकार के लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं हैं।

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि गृह मंत्रालय में बहुत कुछ बदल रहा है तथा सारे कार्य हिंदी में किए जा रहे हैं। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अग्रसर हैं। वेबसाइट को लेकर कार्य लगातार जारी है तथा इसे पूरा ही बदला जा रहा है। वेबसाइट के तैयार होने के बाद इसका पूरा स्वरूप अलग ही होगा। माननीय मंत्री जी का कहना है कि सारा काम हिन्दी में ही होगा। वेबसाइट भी बाई-डिफॉल्ट हिन्दी में ही खुलेगी।

6.50 भारत निर्वाचन आयोग

आयोग की समीक्षा में पाया गया कि धारा 3(3) का अनुपालन किया गया है वहीं राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 का अनुपालन नहीं किया गया है । विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए। फाइलों पर हिन्दी टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है । अधिकारियों/कर्मचारियों के हिन्दी ज्ञान की प्रतिशतता 100 प्रतिशत है। सूचना का अधिकार, भर्ती, निविदा एवं नागरिक चार्टर लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं हैं।

निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि ने बताया कि राजभाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस वर्ष 23000 से ज्यादा चिट्ठियाँ हिन्दी में भेजी गई हैं। आयोग द्वारा बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव, 2024 में सभी प्रेस संबंधी सूचनाएं अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी एक-डेढ़ घंटे के अंदर वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाती थी। प्रतिनिधि का कहना था कि नियम-5 के अनुपालन में कुछ भूल-चूक हुई है। अतः इसके लिए सम्बंधित अधिकारी को निदेशित किया गया है। विभाग में समय-समय पर कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। निदेशक-अवर सचिव स्तर पर हिंदी में कार्य के लिए तकनीक का प्रयोग कैसे कर सकें इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। पत्राचार की प्रतिशतता कम हुई है चूँकि बहुत से पत्र राज्यों से तत्काल आधार पर भेजे जाते हैं । हमारा विभाग वेबसाइट को लेकर सजग है तथा वेबसाइट को हिंदी और अंग्रेजी में सामान रूप से बनाते हुए सुनिश्चित किया जाएगा की सभी सामग्री एक साथ हिंदी व अंग्रेजी में द्विभाषी रूप में हो ।

6.51 भारी उद्योग मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। मंत्रालय द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। फाइलों पर हिन्दी टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया गया है। हिन्दी में काम करने वाले टंककों की प्रतिशतता 100 है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु संगठन, कौन क्या है, सूचना का अधिकार

अधिनियम, नागरिक चार्टर एवं टेंडर्स (निविदा सूचना और निविदा पुरस्कार) लिंक की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि कुछ लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं तथा जो भी कमियाँ रह गई हैं उसमें सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। वेबसाइट के निर्माण का कार्य अभी प्रक्रिया में है तथा जल्द ही इसमें सुधार कर लिया जाएगा।

6.52 मंत्रिमंडल सचिवालय

सचिवालय द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। सचिवालय द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया तथा यह लक्ष्य से भी काफी पीछे है। फाइलों पर हिन्दी टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया गया है। हिन्दी में काम करने वाले टंककों की प्रतिशतता शून्य है। सचिवालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु अधिकारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य, निविदाएं, सूचना का अधिकार एवं भर्ती नियम के लिंक हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

सचिवालय के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि हमारी वेबसाइट द्विभाषी है तथा इसमें हिंदी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प दिया गया है। वेबसाइट बाई-डिफॉल्ट हिंदी में ही खुले इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। पत्राचार में वृद्धि पर जोर दिया जा रहा है हालाँकि अधिकतर कार्य गोपनीय प्रकृति के हैं, इसलिए पत्राचार में कमी है।

6.53 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिन्दी में पत्राचार की स्थिति बेहतर है तथा 'ग' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। फाइलों पर हिन्दी टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। अधिकारियों/कर्मचारियों के हिन्दी ज्ञान, हिन्दी में काम करने वाले आशुलिपिकों तथा हिन्दी में काम करने वाले टंककों की प्रतिशतता 100 प्रतिशत है जो कि सराहनीय है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु मिशन और पेशकश, दस्तावेज, संसाधन, सूचना का अधिकार एवं निविदा की सूचना हिन्दी में उपलब्ध नहीं है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि इन त्रुटियों को यथाशीघ्र सुधार लिया जाएगा। मंत्रालय में ज्यादातर टिप्पणी तथा पत्राचार हिन्दी में हो रहे हैं। माननीय मंत्री जी द्वारा सभी कार्य हिन्दी में करने के निदेश दिए गए हैं जिससे हिंदी अनुभाग पर काफी दबाव पड़ रहा है। मंत्रालय की वेबसाइट अभी अभी बनी है इसलिए कुछ कमियां हैं जिन्हें जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। वेबसाइट पर सामग्रियों का हिन्दी अनुवाद करके अपडेट किया जाएगा।

अमित कुमार

6.54 संघ लोक सेवा आयोग

आयोग द्वारा धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार की स्थिति बेहतर है तथा 'ग' क्षेत्र में हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। फाइलों पर हिन्दी टिप्पण के लक्ष्यों पिछले साल की तुलना में इस साल बढ़ोतरी हुई है तथा इसे प्राप्त किया गया है। आयोग की वेबसाइट पर हिन्दी और अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है।

आयोग के प्रतिनिधि ने बताया कि हमारे यहाँ वेबसाइट पर सारी चीजें अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी अपलोड की जाती हैं। वेबसाइट के काम के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति की गयी है तथा हमारी वेबसाइट दुरुस्त है। प्रतिनिधि ने सहायक निदेशक के रिक्त पद भरे जाने का अनुरोध किया ।

6.55 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए है। मंत्रालय में फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है तथा यह काफी कम है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु होम पृष्ठ, संगठन चार्ट, निविदा एवं भर्ती लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि वेबसाइट पर कार्य किया जा रहा है तथा इसमें जल्द ही सुधार कर लिया जाएगा। लक्ष्य में आ रही कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

6.56 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

मंत्रालय से तिमाही रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है। होम पृष्ठ, संगठन चार्ट, नगारिक कॉर्नर, सूचना का अधिकार, रिक्तियाँ एवं निविदाएं लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं हैं।

सचिव महोदया ने नाराजगी जताते हुए प्रतिनिधि से ऑनलाइन रिपोर्ट समय पर अपलोड करने, सूचना पट्ट पर राजभाषा का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि तिमाही रिपोर्टें तकनीकी समस्या के कारण ऑनलाइन नहीं भेजी जा सकी हैं। इसकी हार्ड कॉपी भेजी जाती है। सारी कमियों को नोट कर लिया गया है तथा इन्हें यथाशीघ्र दूर कर लिया जाएगा। हिंदी सलाहकार समिति के पुनर्गठन हेतु मंत्री जी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है तथा शीघ्र ही इसकी बैठक आयोजित करा ली जाएगी।

6.57 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। हालाँकि 'ग' क्षेत्र का पत्राचार लक्ष्य के करीब है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु होम पृष्ठ ई-नागरिक/निविदा (नागरिक चार्टर, सूचना का अधिकार, ई-निविदा, पैनलबद्ध अस्पतालों की सूची), लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है।

प्रतिनिधि ने बताया कि चूँकि माननीय मंत्री जी एवं राज्य मंत्री जी द्वारा सारे कार्य हिंदी में किए जा रहे हैं अतः अगले वर्ष से पत्राचार में सुधार परिलक्षित होने लगेगा। हिंदी सलाहकार समिति के गठन की प्रक्रिया जारी है तथा जल्द ही इसका गठन कर लिया जाएगा।

6.58 संस्कृति मंत्रालय

मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है।'ग' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है हालाँकि यह लक्ष्य के करीब है। मंत्रालय में फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु मिशन लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं हैं।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि हिंदी पत्राचार में विगत वर्ष के मुकाबले सुधार हुआ है तथा सभी कमियों को यथाशीघ्र दुरुस्त कर लिया जाएगा। प्रतिनिधि ने बताया कि वेबसाइट पर कार्य किया जा रहा है तथा शीघ्र ही इसमें आवश्यक सुधार कर लिया जाएगा। साथ ही सलाहकार समिति की बैठक की प्रक्रिया की जा रही है तथा जल्द ही इसका गठन कर लिया जाएगा।

6.59 संसदीय कार्य मंत्रालय

मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त को प्राप्त किया गया है और फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है तथा इस मंत्रालय के अधिकांश लिंक की सूचना हिंदी में दी गई है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक में हिंदी में अधिकतम कार्य करने के संबंध में प्रायः चर्चा की जाती है। प्रतिनिधि ने बताया कि वेबसाइट पर कार्य किया जा रहा है तथा शीघ्र ही इसमें आवश्यक सुधार कर लिया जाएगा।

6.60 लोक उद्यम विभाग

विभाग की समीक्षा में पाया गया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन किया गया है वहीं राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का उल्लंघन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। विभाग की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु होम पृष्ठ, कार्य आवंटन, सिटिजन चार्टर, कार्यशालाएं/प्रशिक्षण, निविदा एवं सूचना का अधिकार लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है।

विभाग के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि कमियों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में इसे दूर कर लिया जाएगा। सचिव महोदया ने प्रतिनधि को राजभाषा से समन्वय स्थापित करने तथा अनुपालन को सुनिश्चित करने को कहा। प्रतिनिधि ने बताया कि वेबसाइट पर कार्य किया जा रहा है तथा हमारे यहाँ बहुत से कार्य जो हिंदी में किए जा रहे हैं शीघ्र ही वेबसाइट पर परिलक्षित होने लगेंगे।

6.61 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

मंत्रालय से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है तथा कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे। इस कारण उनके मंत्रालय की मदों पर चर्चा/समीक्षा नहीं की जा सकी। सचिव, राजभाषा विभाग ने मंत्रालय को पत्र भेजने के निर्देश दिए।

6.62 कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

मंत्रालय की समीक्षा में पाया गया कि मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', और 'ख' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। मंत्रालय द्वारा 'ग' क्षेत्र में हिंदी पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण लक्ष्य से काफी पीछे है। मंत्रालय की वेबसाइट पर केवल अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है। किसी भी लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है।

प्रतिनिधि ने बताया कि उनके कार्यालय द्वारा पत्राचार की रिपोर्टिंग ठीक से नहीं की गई है। हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की फ़ाइल अभी मंत्री जी के पास है उनसे से अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात बैठक का आयोजन किया जाएगा। प्रतिनिधि ने राजभाषा के पदों के सृजन का प्रस्ताव दिया। उन्होंने बताया कि वेबसाइट को यथाशीघ्र द्विभाषी कर लिया जाएगा ।

6.63 युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

मंत्रालय की समीक्षा में पाया गया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। मंत्रालय की वेबसाइट पर

हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु निविदा और सूचनाएँ एवं सूचना का अधिकार का लिंक हिंदी में उपलब्ध नहीं है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि पत्राचार का प्रतिशत विगत वर्ष के मुकाबले बढ़ा है तथा इसमें निरंतर सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रत्येक तिमाही में कार्यशाला तथा तिमाही बैठक समय पर आयोजित की जाती है तथा इन बैठकों में अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उन्होंने बताया कि बैठक में वेबसाइट के संबंध में बताई गई कमियों को दूर कर लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदया ने खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर बना कर हिंदी से जोड़ने तथा हिंदी का प्रचार-प्रसार करने का सुझाव दिया।

6.64 रक्षा उत्पादन विभाग

विभाग की समीक्षा में पाया गया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', और 'ख' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। मंत्रालय द्वारा 'ग' क्षेत्र में हिंदी पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। विभाग की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है। निविदाएं और सूचनाएँ, सूचना का अधिकार एवं अभिलेखागार खबर लिंक का टैब हिंदी में है परंतु अंदर की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है।

विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि प्रतिशतता बढ़ाने के प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। कई अधीनस्थ कार्यालय 'ख' और 'ग' क्षेत्र में हैं अतः पत्राचार के आंकड़े कम हैं। हालाँकि किए जा रहे प्रयासों के कारण निश्चित ही अगले वर्ष से सुधार होगा। विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि वेबसाइट में अपेक्षित सुधार करेंगे।

6.65 रक्षा मंत्रालय

मंत्रालय की समीक्षा में पाया गया कि मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', और 'ख' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। हालाँकि यह लक्ष्य के करीब है। मंत्रालय द्वारा 'ग' क्षेत्र में हिंदी पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त किया गया है हालाँकि इसमें गत वर्ष के मुकाबले वृद्धि हुई है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और यह लक्ष्य से काफी पीछे है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु संगठन चार्ट हिंदी में उपलब्ध नहीं है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके मंत्रालय में सभी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। पत्राचार के प्रतिशत में सुधार हुआ है तथा इसे 100 प्रतिशत करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने सूचित किया कि हिंदी पखवाड़े में सचिव, संयुक्त सचिव स्तर के उच्चाधिकारियों ने कर्मचारियों व अधिकारियों का उत्साहवर्धन किया। प्रतिनिधि ने बताया कि अधीनस्थ कार्यालयों में भी हिंदी में कार्य किया जा रहा है तथा वेतन पर्ची भी हिंदी में जारी की जा रही हैं। जारी किए जाने वाले अधिकतर पत्र द्विभाषी ही होते हैं। उन्होंने बताया कि उनके मंत्रालय ने पहली बार गृह पत्रिका 'सशक्त भारत' का प्रकाशन किया है। उनके यहाँ माननीय मंत्री व राज्य मंत्री के

अनिल कुमार

सामने प्रस्तुतीकरण हिंदी में ही दिया जाता है। सचिव महोदया ने तिमाही प्रगति रिपोर्ट के प्रोफार्मे में बदलाव हेतु बनने वाले समूह में निदेशक(रा.भा.), रक्षा मंत्रालय से जुड़ने को कहा।

6.66 रेल मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। मंत्रालय द्वारा 'ग' क्षेत्र में हिंदी पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त किया गया है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु नागरिक चार्टर की सूचना हिंदी में नहीं है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि पत्राचार को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं तथा मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट को जल्द ही द्विभाषी कर लिया जाएगा। सलाहकार समिति की बैठक की फ़ाइल अभी मंत्री जी के पास है उनसे से अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात बैठक का आयोजन किया जाएगा। प्रतिनिधि ने कुछ हिंदी पदों के रिक्त होने की सूचना भी दी।

6.67 रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग

विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', और 'ख' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य में गत वर्ष के मुकाबले वृद्धि है परन्तु यह लक्ष्य से पीछे है। हालांकि 'ग' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया गया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण अपने लक्ष्य से पीछे है। विभाग की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परंतु होम पृष्ठ, कौन क्या है, भर्ती, सूचनाएं, रिपोर्टें, निविदाएं, एफएक्यू, रसायन यूनिट की निर्देशिका एवं सूचना का अधिकार लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है।

विभाग के प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि हिंदी पत्राचार की स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं तथा इसमें विगत वर्ष के मुकाबले सुधार हुआ भी है। उन्होंने बताया कि हम अनवरत प्रयास कर रहे हैं कि सारी कमियों को यथाशीघ्र दूर किया।

6.68 राजस्व विभाग

विभाग की समीक्षा में पाया गया कि मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। विभाग की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु कौन क्या है, कार्य, संगठनात्मक संरचना, कर्मचारी कॉर्नर, सूचना का अधिकार एवं निविदा के लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं हैं।

विभाग के प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि हिंदी पत्राचार की स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। विभाग की वेबसाइट को तैयार किया जा रहा है और प्राथमिकता से बदलावों को पूरा करते हुए नवम्बर में इसे अपडेट कर लिया जाएगा। प्रतिनिधि ने बताया कि हिंदी सलाहकार समिति का गठन प्रक्रिया में है तथा जल्द ही इसका गठन कर लिया जाएगा। प्रतिनिधि ने कुछ पदों के रिक्त होने की सूचना दी तथा बताया कि पदों के भरने से हिंदी का कार्य और आगे बढ़ेगा।

6.69 लोक उद्यम विभाग

विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन किया गया है जबकि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का उल्लंघन किया गया है। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है । फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया गया है तथा यह लक्ष्य से पीछे है। विभाग की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु होम पृष्ठ, कार्य आबंटन, सिटिजन चार्टर, कार्यशालाएं/प्रशिक्षण, निविदा एवं सूचना का अधिकार लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है।

विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि नियम 5 का अनुपालन किया गया है परन्तु रिपोर्टिंग ठीक से न हो पाने के कारण आंकड़े इस तरह से परिलक्षित हो रहे हैं। पत्राचार का प्रतिशत बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग की वेबसाइट पर निरंतर कार्य चल रहा है तथा इसमें अपेक्षित सुधार करते हुए कमियों को दूर कर लिया जाएगा। प्रतिनिधि ने कुछ पदों के रिक्त होने की सूचना दी तथा बताया की पदों के भरने से हिंदी का कार्य और आगे बढेगा।

6.70 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है हालांकि 'ग' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया गया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण अपने लक्ष्य से पीछे है। विभाग मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु निर्देशिका, निविदाएं, रिक्त पद, सूचना का अधिकार लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है।

विभाग के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि हिंदी पत्राचार में वृद्धि के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे साथ ही वेबसाइट पर अपलोड का कार्य किया जाना है जिसके पश्चात उसे सुधार लिया जाएगा।

6.71 व्यय विभाग

विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया गया है। विभाग की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी

भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु संगठनात्मक ढांचा, कार्य का आबंटन, रिक्तियां, नागरिक चार्टर, सूचना का अधिकार एवं अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है।

विभाग के प्रतिनिधि ने अपने विभाग की समीक्षा रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की और उसे संतोषजनक न बताते हुए उन्होंने भविष्य में सभी कमियों को सुधारने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने कई पदों के रिक्त होने की सूचना दी।

6.72 वाणिज्य विभाग

विभाग की समीक्षा में पाया गया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है साथ ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया गया है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु कौन क्या है, संगठनात्मक चार्ट, व सूचना का अधिकार, निविदा एवं उपयोगी लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है।

विभाग के प्रतिनिधि ने अपने विभाग की समीक्षा रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की और बताया कि उन्होंने अभी अभी पदभार ग्रहण किया है और हिंदी में पत्राचार बढ़ाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही भविष्य में सभी कमियों को सुधार लिया जाएगा।

6.73 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का एवं राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है हालाँकि यह लक्ष्य के करीब है। 'ग' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण लक्ष्य से पीछे है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु संगठन संरचना, नया नागरिक/ग्राहक चार्टर एवं कर्मचारी कॉर्नर लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि हिंदी पत्राचार में वृद्धि के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएगे साथ ही वेबसाइट को भी एक महीने के अन्दर सुधार लिया जाएगा। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि हिंदी सलाहकार समिति का गठन प्रक्रियाधीन है तथा जल्द ही इसका गठन कर लिया जाएगा। उन्होंने कई हिंदी पदों के रिक्त होने की सूचना भी दी।

6.74 वित्तीय सेवाएं विभाग

विभाग की समीक्षा में पाया गया कि मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है हालांकि विभाग लक्ष्य प्राप्ति के बहुत नजदीक है जो कि सराहनीय है। 'ग' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। विभाग में

अनिल कुमार

टंककों की संख्या शून्य दर्शाई गयी है। विभाग की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु कुछ लिंक हिंदी में नहीं है।

विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि गत वर्ष के मुकाबले आंकड़ों में काफी सुधार हुआ है तथा इसमें और सुधार किया जाएगा। विभागीय बैठक के बाद कंठस्थ को ई-ऑफिस से जोड़ दिया गया है साथ ही सभी कार्मिकों को इस संबंध में अवगत कराया जा रहा है हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की फाइल माननीय मंत्री जी के पास है वहां से अनुमोदन के पश्चात ही बैठक की जाएगी। मंत्रालय/विभाग की नई वेबसाइट को द्विभाषी करने के साथ ही उसे समय समय पर अपडेट भी किया जा रहा है।

6.75 विद्युत मंत्रालय

मंत्रालय की समीक्षा में पाया गया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है लेकिन 'ग' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया गया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु मंत्रालय के संगठनात्मक सेटअप, निविदायें एवं अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न के लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि पत्राचार की प्रतिशतता में वृद्धि के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि इसमें गत वर्ष के मुकाबले सुधार हुआ है। विभाग की वेबसाइट पर भी अपेक्षित सुधार किए जाएंगे। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि इस बार उनके मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर सम्मेलन का आयोजन किया गया है तथा उनके अधीनस्थ उपक्रम को इस वर्ष राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सारी कमियों को जल्द ही दूर कर लिया जाएगा।

6.76 विदेश मंत्रालय

मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। मंत्रालय 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार और फाइलों पर हिंदी में टिप्पण निर्धारित लक्ष्य से पीछे है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु सूचना का अधिकार, निविदाएं/ अधिसूचनाएं एवं नागरिक चार्टर लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है।

प्रतिनिधि ने सूचित किया कि विदेश मंत्रालय में कार्य प्रकृति भिन्न होने के कारण पत्राचार में कमी है। दूतावासों के साथ भी पत्राचार किया जाता है, इस कारण भी हिंदी पत्राचार में कमी है। मिशनों में तैनात लोगों को हिंदी में कार्य करने में मुश्किल होती है अतः पत्राचार कम परिलक्षित होता है। प्रतिनिधि ने बताया कि पत्राचार के आंकड़ों को और सुधारा जाएगा। मंत्रालय की वेबसाइट में भी अपेक्षित सुधार किया जाएगा।

अनिल कुमार

6.77 विधायी विभाग

विभाग में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया गया है हालाँकि फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। टंककों, आशुलिपिक तथा हिंदी में कार्य करने वाले अधिकारियों की संख्या शून्य है। विभाग की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु कार्य का वितरण, आदेश और परिपत्र, सूचना (नियुक्ति, निविदाएँ, महत्वपूर्ण घोषणाएं), सूचना का अधिकार लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है।

विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि माननीय राज्य मंत्री जी के निर्देशन में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा मिला है। हिंदी से जुड़े कई पद खाली हैं। गलत रिपोर्टिंग के कारण 'क' तथा 'ख' क्षेत्र का पत्राचार 110 प्रतिशत दिख रहा है। आंकड़ों को बेहतर किया जा रहा है तथा भविष्य में ये सारे आंकड़े ठीक कर लिए जायेंगे। जल्दी ही वेबसाइट संबंधी सारी सूचनाएं द्विभाषी हो जाएगी।

6.78 विधि कार्य विभाग

विभाग में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया गया है। विभाग की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु निविदा, लिंक हिंदी में उपलब्ध नहीं है। भर्ती, नागरिक चार्टर एवं विज़न मिशन लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है।

विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि पत्राचार संबंधी आंकड़ों को ठीक करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं तथा इसमें पिछले वर्ष के मुकाबले प्रगति हुई है। हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए माननीय मंत्री जी विशेष ध्यान रखते हैं। विभाग में ज्यादातर पत्राचार लीगल प्रकृति का होता है अतः यह कम है, इसे बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग के प्रतिनिधि ने तिमाही प्रगति रिपोर्ट के प्रोफोर्मे में सुधार किए जाने का सुझाव दिया।

6.79 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु नौकरियां/ परिपत्र/ अधिसूचनाएं, निविदाएं, आगामी कार्यक्रम एवं अपनी शिकायत दर्ज कराएं के लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है ।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि हिंदी पत्राचार बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि हिंदी सलाहकार समिति का गठन प्रक्रिया में है तथा जल्द ही इसका गठन कर लिया

अनिल कुमार

जाएगा। मंत्रालय प्रतिनिधि ने कहा कि वेबसाइट संबंधी कमियों में जल्दी ही सुधार किया जाएगा और वेबसाइट संबंधी सभी सूचनाएं द्विभाषी हो जाएगी।

6.80 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन किया गया है लेकिन राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन नहीं किया गया है। विभाग 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है लेकिन 'ग' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु सिटिजन चार्टर, परिपत्र/आदेश/अधिसूचना, निविदा, रिक्तियों, सूचना का अधिकार एवं सामान्य प्रश्न के लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं हैं।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि पत्राचार संबंधी रिपोर्टिंग ठीक से नहीं हो पाने के कारण आंकड़े गलत हैं। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट में अपेक्षित सुधार किए जा रहे हैं तथा इसे बाई-डिफॉल्ट हिंदी में कर लिया जाएगा।

प्रतिनिधि ने सूचित किया कि हिंदी सलाहकार समिति की बैठक के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हिंदी पखवाड़े में अन्य प्रतियोगिताएं के साथ स्वरचित कविताओं का पाठ किया गया। कविताओं का संकलन प्रकाशित करने का सुझाव दिया गया।

6.81 मत्स्यपालन विभाग

विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क' 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया गया है। विभाग के सभी कार्मिकों को हिंदी का ज्ञान है। विभाग की वेबसाइट पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प है परन्तु एफएक्यू एवं सूचना का अधिकार लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है ।

विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि इस विभाग को बैठक में पहली बार शामिल किया गया है तथा हिंदी पत्राचार में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट को अपडेट कर लिया गया है तथा इसमें अपेक्षित सुधार किए जा रहे हैं। हिंदी सलाहकार समिति का गठन पशुपालन विभाग द्वारा किया जाएगा तथा फ़ाइल आगे भेज दी गयी है। विभाग के प्रतिनिधि ने तिमाही प्रगति रिपोर्ट के प्रोफोर्मे में सुधार किए जाने का सुझाव दिया।

******

अनुलग्नक-'क'

दिनांक 22 अक्टूबर, 2024 को पूर्वाह्न 11:00-1:00 बजे आयोजित होने वाली केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 46वीं बैठक के प्रथम चरण में भाग लेने वाले भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की सूची	
1.	अंतरिक्ष विभाग (कीर्ति पुरस्कार, द्वितीय 300 से अधिक कार्मिक)
2.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
3.	आयुष मंत्रालय
4.	आर्थिक कार्य विभाग
5.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
6.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
7.	इस्पात मंत्रालय
8.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
9.	उपभोक्ता मामले विभाग
10.	उर्वरक विभाग
11.	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
12.	औषध विभाग
13.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
14.	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
15.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय
16.	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
17.	कोयला मंत्रालय
18.	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
19.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
20.	उच्चतर शिक्षा विभाग (शिक्षा मंत्रालय)
21.	खान मंत्रालय
22.	ग्रामीण विकास विभाग
23.	भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का कार्यालय
24.	जनजातीय कार्य मंत्रालय
25.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
26.	डाक विभाग
27.	दूर संचार विभाग
28.	सहकारिता मंत्रालय
29.	नागर विमानन मंत्रालय (कीर्ति पुरस्कार, द्वितीय 300 से कम कार्मिक)

दिनांक 22 अक्टूबर, 2024 को अपराह्न 03:00 - 05:00 बजे आयोजित होने वाली केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 46वीं बैठक के द्वितीय चरण में भाग लेने वाले भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की सूची	
1.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
2.	न्याय विभाग
3.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
4.	वस्त्र मंत्रालय
5.	निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
6.	नीति आयोग
7.	पंचायती राज मंत्रालय
8.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
9.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
10.	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय
11.	परमाणु ऊर्जा विभाग (कीर्ति पुरस्कार , प्रथम 300 से अधिक कार्मिक)
12.	पर्यटन मंत्रालय
13.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
14.	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (कीर्ति पुरस्कार , प्रथम 300 से कम कार्मिक)
15.	पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
16.	पशुपालन और डेयरी विभाग
17.	पत्तन पोत परिवहन और जमलमार्ग मंत्रालय
18.	बायोटेक्नोलॉजी विभाग
19.	भूमि संसाधन विभाग
20.	गृह मंत्रालय
21.	भारत निर्वाचन आयोग
22.	भारी उद्योग विभाग
23.	मंत्रिमंडल सचिवालय
24.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
25.	संघ लोक सेवा आयोग

दिनांक 23 अक्टूबर, 2024 को पूर्वाह्न 11:00 -1:00 बजे आयोजित होने वाली केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 46वीं बैठक के प्रथम चरण में भाग लेने वाले भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की सूची	
1.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
2.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
3.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
4.	संस्कृति मंत्रालय (कीर्ति पुरस्कार, तृतीय 300 से कम कार्मिक)
5.	संसदीय कार्य मंत्रालय
6.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
7.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
8.	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
9.	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
10.	रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग
11.	रक्षा मंत्रालय रक्षा विभाग
12.	रेल मंत्रालय (कीर्ति पुरस्कार, तृतीय 300 से अधिक कार्मिक)
13.	रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग
14.	राजस्व विभाग
15.	लोक उद्यम विभाग
16.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
17.	व्यय विभाग
18.	वाणिज्य विभाग
19.	विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग
20.	वित्तीय सेवाएं विभाग
21.	विद्युत मंत्रालय
22.	विदेश मंत्रालय
23.	विधायी विभाग
24.	विधि कार्य विभाग
25.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
26.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
27.	मत्स्यपालन विभाग

अनुलग्नक 'ख'

दिनांक 22 अक्टूबर से 23 अक्टूबर, 2024 के दौरान आयोजित केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 46वीं बैठक में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से उपस्थित अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	उपस्थित अधिकारियों के नाम तथा पदनाम
1.	अंतरिक्ष विभाग	डॉ. राजीव कुमार जायसवाल, विशेष कार्य अधिकारी
2.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	श्री आलोक कुमार वर्मा, उप महानिदेशक
3.	आयुष मंत्रालय	डॉ. मुख्तार अहमद कासमी, सलाहकार (यूनानी)
4.	आर्थिक कार्य विभाग	श्री रजनीश कुमार, सहायक निदेशक
5.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	श्री मोहन लाल मीणा, उप निदेशक (रा.भा.)
6.	इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	श्री विजय कमार, निदेशक श्री शिव कुमार निगम, उप निदेशक (रा.भा.) श्री गौरव खन्ना, (तकनीकी)
7.	इस्पात मंत्रालय	श्री चन्द्रेश कुमार मीना, सहायक निदेशक (रा.भा.)
8.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	श्री रवीन्दर गुप्ता, अनुभाग अधिकारी
9.	उपभोक्ता मामले विभाग	श्री अमन जैन, निदेशक
10.	उर्वरक विभाग	श्री मोहनलाल मीना, उप सचिव श्रीमती विमला दहिया, उपनिदेशक
11.	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	श्री राज किशन वत्स, उप सचिव
12.	औषध विभाग	सुश्री गायत्री नायर, आर्थिक सलाहकार
13.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	श्री के.के. ग्विति, निदेशक (स्थापना एवं आईसी)
14.	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	श्रीमती नीलम ग्रेस एक्का, उप निदेशक (रा.भा.)
15.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	श्री मु. अरशद हुसैन, संयुक्त निदेशक (रा.भा.)
16.	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	श्री जग मोहन सिंह नेगी, संयुक्त निदेशक (रा.भा.)
17.	कोयला मंत्रालय	श्रीमती आस्था जैन, संयुक्त निदेशक
18.	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	श्री नरेश कुमार, उप निदेशक (राजभाषा)
19.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	श्री अजय कुमार, उपसचिव
20.	उच्चतर शिक्षा विभाग (शिक्षा मंत्रालय)	श्री जगदीश राम पौरी, निदेशक (राजभाषा)
21.	खान मंत्रालय	श्री अशोक कुमार प्रसाद, सहायक निदेशक (रा.भा.)
22.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	श्री राम चन्द्र, उपसचिव सुश्री पुष्पलता, संयुक्त निदेशक
23.	भारत के नियंत्रक- महालेखा परीक्षक का कार्यालय	श्री अनिल कुमार, वरि. प्रशासनिक अधिकारी
24.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	श्री बृज नन्दन प्रसाद, संयुक्त सचिव
25.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	श्री विजय सिंह मीना, निदेशक (रा.भा.)
26.	डाक विभाग	श्रीमती रूपा कपूर, सहायक निदेशक (रा.भा.)

27.	दूर संचार विभाग	श्री जितेन्द्र कुमार आर्य, संयुक्त निदेशक (रा.भा.)
28.	सहकारिता मंत्रालय	श्री अफसर अहमद, निदेशक
29.	नागर विमानन मंत्रालय	ले. कर्नल एम. के. सिंह, निदेशक
30.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	श्री सुरेश चन्द्र टमटा, निदेशक श्री विनोद कुमार, उप निदेशक
31.	न्याय विभाग	श्री एस. पिल्लै, सहायक निदेशक
32.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	श्री एस.के. शाही, वैज्ञानिक 'ई'
33.	वस्त्र मंत्रालय	श्री अखिलेश कुमार, उप महानिदेशक सुश्री अंशु गुप्ता, उप निदेशक (रा.भा.)
34.	निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग	श्री आर.एस. वर्मा, निदेशक (प्रशा.)
35.	नीति आयोग	डॉ. आशीष पंडा, उप सचिव
36.	पंचायती राज मंत्रालय	श्री चन्दर सिंह, सहायक निदेशक
37.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	डॉ. ज्योति मिश्रा, उप निदेशक (राजभाषा)
38.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	श्रीमती सिम्मी नारनौलिया, उपसचिव
39.	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (जल शक्ति मंत्रालय)	श्री कपिल चौधरी, निदेशक
40.	परमाणु ऊर्जा विभाग	श्री अचलेश्वर सिंह, निदेशक (राजभाषा)
41.	पर्यटन मंत्रालय	श्री मनोज कुमार दुबे, उप निदेशक (रा.भा)
42.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	श्री चांद किरण बेदी, उप निदेशक (रा.भा.)
43.	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग	सुश्री जया दूबे, संयुक्त सचिव
44.	पेंशन और पेंशनभागी कल्याण विभाग	श्री ध्रुवज्योति सेनगुप्ता, संयुक्त सचिव श्री नागेंद कुमार, अवर सचिव श्रीमती मंजू गुप्ता, सहायक निदेशक
45.	पशुपालन और डेयरी विभाग	डॉ. सुपर्णा शर्मा पचौरी, संयुक्त सचिव
46.	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	सुश्री संगीता तोपनो, उप निदेशक
47.	बायोटेक्नोलॉजी विभाग	श्रीमती दिव्या चौहान, उप सचिव (प्र.)
48.	भूमि संसाधन विभाग	श्री पी.के. अब्दुल करीम, आर्थिक सलाहकार
49.	गृह मंत्रालय	श्रीमती अनुपमा परमार, संयुक्त निदेशक (रा.भा.)
50.	भारत निर्वाचन आयोग	श्री आनन्द कुमार पाठक, सचिव
51.	भारी उद्योग मंत्रालय	श्री अरुण कुमार दीवान, निदेशक
52.	मंत्रिमंडल सचिवालय	श्री आशीष मल्होत्रा, उप सचिव
53.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	श्रीमती पद्मजा वशिष्ठ, निदेशक
54.	संघ लोक सेवा आयोग	सुश्री तरुणा जंगपांगी, निदेशक
55.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	श्री मगन लाल मीना, अतिरिक्त आर्थिक सलाहकार
56.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	श्री राजेश चौधरी, उप सचिव
57.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	डॉ. राजेश कपूर, उप निदेशक
58.	संस्कृति मंत्रालय	श्री गुरमीत सिंह चावला, संयुक्त सचिव
59.	संसदीय कार्य मंत्रालय	श्री ए.बी. आचार्या, उप सचिव
60.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	श्री आशीष कुमार गुप्ता,
61.	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	श्री श्रीशैल मालगे, संयुक्त सचिव श्री मनीष कुमार सिंह, उपसचिव

62.	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	श्रीमती वनिता सूद, निदेशक
63.	रक्षा उत्पादन विभाग	श्री मनोज कुमार चौधरी, सहायक निदेशक
64.	रक्षा मंत्रालय, रक्षा विभाग	श्रीमती दिपाली प्र. चव्हाण, निदेशक श्री सुखबीर सिंह, उपनिदेशक
65.	रेल मंत्रालय	श्री मनोज कुमार, कार्य नि./स्था (आर)
66.	रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग	श्री गंगा कुमार, उपमहानिदेशक
67.	राजस्व विभाग	श्रीमती सुधा वर्मा, उप निदेशक (रा.भा.)
68.	लोक उद्यम विभाग	श्री क्रांती खोब्रागडे, उप सचिव
69.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	श्रीमती अनु शर्मा, सहायक निदेशक
70.	व्यय विभाग	श्री अनिल गैरोला, उप सचिव
71.	वाणिज्य विभाग	श्री संजय पाटिल, संयुक्त निदेशक (रा.भा.)
72.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	डॉ. नम्रता पाठक, संयुक्त सचिव/वैज्ञानिक 'जी'
73.	वित्तीय सेवाएं विभाग	श्री अभीजित फुक्न, आर्थिक सलाहकार श्री सर्वेश कुमार मिश्र, सहायक निदेशक
74.	विद्युत मंत्रालय	श्री सुनिल कुमार, सहायक निदेशक श्री धीरज कुमार श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता
75.	विदेश मंत्रालय	श्री रविन्द्र प्रसाद जायसवाल, संयुक्त सचिव
76.	विधायी विभाग	श्री राकेश, सहायक निदेशक
77.	विधि कार्य विभाग	श्री शमशेर सिंह, सहायक निदेशक (रा.भा.)
78.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	श्री जी. सजित कुमार, उप सचिव
79.	सूक्ष्म, लधु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	सुश्री काजल जैन, उप महानिदेशक
80.	मत्स्यपालन विभाग	श्री सुशील कुमार झा, निदेशक

दिनांक 22 एवं 23 अक्टूबर, 2024 के दौरान आयोजित केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 46वीं बैठक में राजभाषा विभाग से उपस्थित अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1.	श्रीमती अंशुली आर्या	सचिव, राजभाषा विभाग
2.	डॉ. मीनाक्षी जौली	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग
3.	श्री अनिल कुमार	उप सचिव (का.)
4.	सुश्री अभिलाषा मिश्रा	उप निदेशक (का-2)
5.	श्री संतोष कुमार	अनुसंधान अधिकारी (का-2)

****